रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 1988/कार्तिक 2, 1910
No. 551] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 1988/KARTAKA 2, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1988

सं. 269/88 – केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 1025(अ) -- केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस प्रथा के अनुसार, जो साधारणतः केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण (जिसके अंतर्गत उसका अनुद्ग्रहण भी है) के संबंध में प्रचलित थी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले पराटोलुइक

ईस्टर पर और डाइमेथिल टेरेफ्थालेट के विनिर्माण में उत्पादन कारखाने के भीतर उपभोग किया जाता है 28 फरवरी, 1986 को आरम्भ होने वाली और 11 जनवरी, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क प्रथम उल्लिखित अधिनियम की उक्त धारा 3 के अधीन उदग्रहीत नहीं किया जा रहा था ,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रथम उल्लिखित अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि ऐसे पराटोलुइक ईस्टर पर उक्त अधिनियम के अधीन सदेय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क यदि उक्त प्रथा न होती, तो ऐसे परा-टोलुइक ईस्टर के संबंध में, जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उदग्रहीत नहीं किया गया था, संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

[फा. सं. 120/30/87-सी एक्स - 3]
एस. सी. जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1988

NO. 269|88-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1025(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on para-toluic ester, falling within Chapter 29 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) and consumed within the factory of production in the manufacture of dimethyl terephthalate, was not being levied under the said section 3 of the first-mentioned Act during the period commencing on the 28th day of February, 1986 and ending with the 11th day of January, 1987;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the first-mentioned Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under the said Act on such para-toluic ester, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such para-toluic ester on which the said duty of excise was not levied during the period aforesaid in accordance with the said practice.

[F. No. 120|30|87-CX. 3]
S. C. JANA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988